Kos. 81/19/75 रामकरण vs गणेश वगैरह
66/118/75

तारीख पेशी	बनाम 19/00081 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ...... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30-10-18	**राम करण बनाम गणेश वगैरह** पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि यह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा जरी किये गये, संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है क्योंकि उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश 90 बी (3) कि तहत जारी किया गया हैं। जिसकी प्रथम अपील 90 बी (7) के तहत खण्ड आयुक्त को होती हैं कि 90 बी (9)के तहत उपरोक्त अपील का निस्तारण करता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय को 90 बी (10) के अनुसार उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं। अपील क्षैत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य हैं। अभिभाषक अपीलांट ने इस बताया कि अपील यदि न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं है तो सक्षम न्यायालय में लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अभिभाषक अपीलांट को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जाना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्मर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	अभि० अपीलांट अपील लौटाई